भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 2414

सोमवार, 04 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक)

डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को भुगतान

2414. डॉ. मन्ना लाल रावत:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से संवितरित कुल धनराशि कितनी है और इसके अंतर्गत कितने लाभार्थी शामिल हैं;

(ग) क्या डीबीटी के कार्यान्वयन से लाभ अंतरण में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की भविष्य में डीबीटी के क्षेत्रों का विस्तार करने की कोई योजना है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): जी, हाँ। सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से वितरित कुल धनराशि तथा उसके अंतर्गत राज्य-वार लाभार्थी लेन-देन की संख्या **'अनुबंध'** में दी गई है।

(ग) और (घ): जी, हाँ। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और अन्य शासकीय सुधारों के कार्यान्वयन से नकली और फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सका है और लीकेज पर रोक लगी है। इसके परिणामस्वरूप, सरकार वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को बेहतर ढंग से लक्षित करने में सक्षम हुई है। इन उपायों के परिणामस्वरूप 4,31,138.05 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत/लाभ (वित्त वर्ष 2023-24 तक) हुआ है।

(ङ): मंत्रालय/विभाग विभिन्न स्तरों पर डीबीटी की प्रयोज्यता के लिए योजनाओं का मूल्यांकन करते हैं। इसका मूल्यांकन व्यय वित्त समिति की बैठकों में भी किया जाता है।

****

अनुबंध

सोमवार, 04 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 2414 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर से संदर्भित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से वितरित कुल धनराशि और इसके अंतर्गत लाभार्थी लेनदेन की राज्य-वार संख्या:

क. वित्त वर्ष 2022-23

राज्य	कुल राशि (रु. में)	लाभार्थी लेनदेन की कुल संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	31,07,08,069	8,76,419
आंध्र प्रदेश	81,71,16,48,964	9,70,78,762
अरुणाचल प्रदेश	12,66,03,84,952	32,43,061
असम	1,46,00,20,23,974	8,06,28,517
बिहार	4,05,65,43,53,421	34,80,17,144
चंडीगढ़	77,76,00,974	26,16,578
छत्तीसगढ़	70,94,18,14,583	7,53,30,680
दमन और दीव	23,55,45,178	1,31,198
दिल्ली	66,98,47,63,249	1,89,85,344
गोवा	39,97,60,158	73,511
गुजरात	1,19,50,80,66,966	7,48,00,450
हरियाणा	1,16,00,76,83,903	8,79,09,286
हिमाचल प्रदेश	26,92,59,67,209	1,78,75,164
जम्मू और कश्मीर	36,17,38,47,210	2,14,89,066
झारखंड	1,38,91,89,56,255	10,03,61,643
कर्नाटक	70,87,15,52,308	6,54,12,586
केरल	51,49,06,47,774	3,04,22,984
लद्दाख	1,01,26,41,652	6,00,176
लक्षद्वीप	20,20,38,339	58,697
मध्य प्रदेश	2,58,57,69,65,487	12,82,43,528
महाराष्ट्र	1,96,97,58,55,543	12,12,90,973
मणिपुर	12,45,33,40,474	94,89,686
मेघालय	9,20,30,27,792	55,36,231
मिजोरम	6,10,07,22,696	43,34,786
नागालैंड	8,22,27,48,403	62,05,119
ओडिशा	94,82,47,38,577	10,44,61,905
पुडुचेरी	4,75,96,28,967	69,32,192
पंजाब	57,50,08,47,556	8,74,55,512

राजस्थान	1,31,77,35,97,558	9,18,39,176
सिक्किम	1,08,81,14,869	12,21,672
तमिलनाडु	1,23,56,42,15,745	20,27,84,897
तेलंगाना	76,97,27,35,184	12,36,30,611
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	64,06,23,926	3,74,056
त्रिपुरा	27,26,03,01,167	1,08,58,366
उत्तर प्रदेश	5,68,30,44,38,404	39,20,78,001
उत्तराखंड	21,62,88,82,290	2,30,02,233
पश्चिम बंगाल	99,11,09,89,883	15,23,21,838
कुल योग	**30,45,75,17,79,657**	**2,49,79,72,048**

ख. वित्त वर्ष 2023-24

राज्य	कुल राशि (रु. में)	लाभार्थी लेनदेन की कुल संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,120,744,144	1,056,166
आंध्र प्रदेश	73,218,041,262	90,324,175
अरुणाचल प्रदेश	14,117,842,823	3,273,369
असम	120,675,304,343	72,663,566
बिहार	274,540,564,052	297,520,367
चंडीगढ़	1,560,627,368	3,207,068
छत्तीसगढ़	96,678,385,255	75,394,778
दमन और दीव	479,748,527	290,565
दिल्ली	140,855,276,944	30,073,895
गोवा	322,134,004	53,173
गुजरात	153,068,434,809	86,849,284
हरियाणा	137,938,970,380	88,154,640
हिमाचल प्रदेश	32,553,713,966	20,711,175
जम्मू और कश्मीर	43,942,832,250	21,599,853
झारखंड	139,666,662,607	111,287,670
कर्नाटक	87,683,045,846	71,531,495
केरल	63,292,921,150	39,955,107
लद्दाख	860,481,489	595,224
लक्षद्वीप	173,679,728	68,866
मध्य प्रदेश	179,535,372,686	143,910,401
महाराष्ट्र	364,937,143,111	165,623,859
मणिपुर	7,177,306,421	5,385,963
मेघालय	25,286,936,723	5,576,338
मिजोरम	9,859,188,731	4,928,194
नागालैंड	9,681,124,067	4,125,403
ओडिशा	188,895,979,639	116,240,802
पुडुचेरी	5,861,099,668	9,194,637
पंजाब	86,292,391,268	101,545,357
राजस्थान	134,075,251,958	104,896,062
सिक्किम	1,502,885,593	1,314,558
तमिलनाडु	170,309,397,655	225,643,161
तेलंगाना	108,639,156,406	146,267,943
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	457,308,825	254,905

त्रिपुरा	35,599,473,208	11,074,439
उत्तर प्रदेश	636,853,297,162	424,819,621
उत्तराखंड	27,178,468,089	24,832,054
पश्चिम बंगाल	86,013,759,072	153,426,341
कुल योग	**34,60,90,49,51,229**	**2,66,36,70,474**

ग. वित्त वर्ष 2024-25

राज्य	कुल राशि (रु. में)	लाभार्थी लेनदेन की कुल संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,151,530,164	1,140,013
आंध्र प्रदेश	59,143,894,043	103,692,749
अरुणाचल प्रदेश	14,261,765,919	4,031,241
असम	89,049,082,056	76,850,048
बिहार	339,189,514,228	311,504,966
चंडीगढ़	1,471,870,438	3,198,537
छत्तीसगढ़	138,891,275,588	82,549,021
दमन और दीव	568,505,550	308,371
दिल्ली	165,037,502,892	36,884,352
गोवा	292,318,322	64,320
गुजरात	175,897,798,909	102,314,595
हरियाणा	165,045,124,086	96,121,251
हिमाचल प्रदेश	41,633,155,307	23,399,635
जम्मू और कश्मीर	40,493,338,015	24,844,341
झारखंड	199,627,488,386	115,022,512
कर्नाटक	95,081,809,626	76,270,044
केरल	64,289,378,143	44,151,804
लद्दाख	1,305,291,424	695,295
लक्षद्वीप	304,349,467	75,459
मध्य प्रदेश	215,327,943,299	175,495,240
महाराष्ट्र	398,134,256,353	179,882,105
मणिपुर	14,816,439,347	9,838,686
मेघालय	17,650,977,132	7,463,743
मिजोरम	9,201,305,636	5,146,782
नागालैंड	6,426,959,943	3,449,562
ओडिशा	146,640,694,904	107,375,590
पुडुचेरी	10,526,130,796	10,359,575
पंजाब	98,243,060,352	106,364,061
राजस्थान	148,107,363,393	111,406,120
सिक्किम	1,508,082,836	1,513,377
तमिलनाडु	151,586,308,451	210,762,134
तेलंगाना	120,859,585,545	163,564,477
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	660,748,796	264,963
त्रिपुरा	21,084,662,084	11,452,240

उत्तर प्रदेश	587,059,005,419	460,081,465
उत्तराखंड	23,136,367,738	26,589,802
पश्चिम बंगाल	101,868,895,562	165,313,564
कुल योग	**36,65,57,37,80,150**	**2,85,94,42,040**